83

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1253-एक/2001 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-3-2001- पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्र0क्र0 15 अ 27/1993-94 अपील

सभापति तनय रामचन्द्र बैसवार
ग्राम मर्यादपुर तहसील अमरपाटन
जिला सतना, मध्य प्रदेश --- आवेदक

विरूद्ध

श्यामकिशोर तनय रामचन्द्र बैसवार
ग्राम मर्यादपुर तहसील अमरपाटन
जिला सतना, मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 17-7-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 15/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-3-2001 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने ग्राम मर्यादपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 101, 103/1 की सामिलाती भूमि के बटवारे का आवेदन नायव तहसीलदार अमरपाटन के समक्ष प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16-6-1988 से बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय

अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 15 अ 27/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-8-1997 से नायव तहसीलदार का बटवारा आदेश निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के आदेश दिनांक 13-8-1997 के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण क्रमांक 15 अ-27/ 1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-3-2001 से अपील अमान्य कर दी। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक क अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ने ग्राम मर्यादपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 101, 103/1 की सामिलाती भूमि के बटवारे एंव नामान्तरण का आवेदन दिया गया था। यह भूमि बटवारे में आवेदक को भाईयों से प्राप्त हुई थी। तहसील न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के वाद आवेदक का नामान्तरण भूमि सर्वे क्रमांक 101 के रकबा 0.48 डि. पर एंव सर्वे क्रमांक 103 रकबा 3.74 ए. के अंश भाग 2.14 ए. के जुज रकबा 2.62 पर किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील के आदेश को बेबजह निरस्त किया है एंव अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय में हुई विधिवत् कार्यवाही को नजरन्दाज करते हुये अपील निरस्त करने में भूल की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेश निरस्त करके निगरानी स्वीकार की जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 15 अ-27/ 1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-3-2001 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय के मूल प्रकरण में संलग्न अभिलेख के अवलोकन पर पाया है कि अनावेदक वादग्रस्त भूमियों का अकेला भूमिस्वामी शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके कारण आवेदक का नाम बतौर सहखातेदार शासकीय अभिलेख में नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार

के आदेश दिनांक 16-6-1988 को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 19-3-2001 पारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत् रखा है। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन द्वारा प्रकरण क्रमांक 15 अ 27/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-8-1997 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा आदेश दिनांक 19-3-2001में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती प्रतीत होते हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 15 अ-27/ 1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-3-2001 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर